Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : राजीव सियाग बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा : **प्रार्थना–पत्र** अन्तर्गत नियम 8(2) राज. उप. अधिनियम सपठित धारा 251 (क) आर.टी.ए., 1955 प्र.सं. **67** सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी व राज पैरोकार उपस्थित। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी राजीव सियाग पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 71/77 के पत्थर नं. 40/339 (38) के किला नं. 6 ता 8/0.759 है0, 9/2 में 0.089 है0, 11/0.033 है0, 12/0.167 है0, 13 ता 18/1.518 है0, 19/0.139 है0, 22/1 में 0.050 है0 = 2.755 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के पश्चिम की तरफ किला नं. 11 के चिपते एन.एच.–62 सड़क निकलती है। प्रार्थी ने अपने उक्त रकबा में से पत्थर नं. 40/339 (38) के किला नं. 6 ता 8/0.759 है0, 9/2 में 0.089 है0, 12/0.140 है0, 13 ता 18/1.518 है0, 19/0.139 है0, 22/1 में 0.050 है0 = 2.695 है0 रकबा को आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन किया हुआ है, जिसके लिए प्रार्थी अपने नाम दर्ज चक 1 के.एस.आर.'ए' के पत्थर नं. 40/339 (38) के किला नं. 11 की 0.033 है0, 12 में 0.027 है0 भूमि को रास्ता के रूप में स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करवाना चाहता है, जो मुख्य सड़क एन.एच.–62 से जुड़ता है। मौका पर प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा में आने–जाने के लिए किला नं. 11–12 की उक्त भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में करता है। मौका पर रास्ता चालू है। प्रार्थी रास्ता में आयी भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं लेगा, इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की खातेदारी कृषि भूमि में से चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 40/339 (38) के किला नं. 11 की 0.033 है0 दक्षिणी पासा, 12 में 0.027 है0 दक्षिण पासा, पश्चिम से पूर्व, जो एन.एच.–62 से जोड़ता है, को गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ नक्शा, जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक : राजस्व/रास्ता/1752 दिनांक 02.12.2019 मय रिपोर्ट पटवारी, नजरी नक्शा, फर्द मौका प्रेषित की जिसके अनुसार प्रार्थी की चक 1 के.एस.आर.'ए' की 2.695 है0 भूमि आवासीय कॉलोनी हेतु प्रस्तावित है जिसके लिए किला नं. 11 व 12 में रास्ता चालू है। रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि खातेदार प्रार्थी स्वयं की है, कोई अंशधारक खातेदार शामिल नहीं है। भूमि बाबत कोई विवाद/स्थगन नहीं है, मौका पर खाली है एवं आवागमन के लिए उपयोग में ली जा रही है, इसलिए राज्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। क्रमशः	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

फर्द अहकाम (67/2019 राजीव सियाग बनाम राजस्थान ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व नक्शा एवं जमाबन्दियों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने नाम की चक 1 के.एस. आर.'ए' के पत्थर नं. 40/339 (38) के किला नं. 6 ता 8/0.759 है0, 9/2 में 0.089 है0, 11/0.033 है0, 12/0.167 है0, 13 ता 18/1.518 है0, 19/0.139 है0, 22/1 में 0.050 है0 = 2.755 है0 नहरी खातेदारी कृषि में से किला नं. 6 ता 8/0.759 है0, 9/2 में 0.089 है0, 12/0.140 है0, 13 ता 18/1.518 है0, 19/0.139 है0, 22/1 में 0.050 है0 = 2.695 है0 रकबा को आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन किया हुआ है, जिसके लिए प्रार्थी अपने किला नं. 11 की 0.033 है0, 12 में 0.027 है0 भूमि को रास्ता के रूप में स्वीकृत करवाना चाहता है, जो मुख्य सड़क एन.एच.–62 से जुड़ता है। मौका पर इस भूमि से आवागमन किया जा रहा है, इसलिए इसे गै.मु.रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की। राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज ने रिपोर्ट तहसीलदार में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।
	पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार मय रिपोर्ट पटवारी, नजरी नक्शा, फर्द मौका, व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने नाम की चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 71/77 में अंकित कुल 2.755 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से 2.695 है0 रकबा का आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन किया हुआ बताया, जिसके लिए प्रार्थी अपने नाम दर्ज किला नं. 11 की 0.033 है0, 12 में 0.027 है0 भूमि को रास्ता के रूप में स्वीकृत करवाना चाहा है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार आवासीय कॉलोनी हेतु प्रस्तावित भूमि के लिए किला नं. 11 व 12 में रास्ता चालू है। रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि खातेदार प्रार्थी स्वयं की है, कोई अंशधारक खातेदार शामिल नहीं है। भूमि बाबत कोई विवाद/स्थगन नहीं है, मौका पर खाली है एवं आवागमन के लिए उपयोग में ली जा रही है। राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने रास्ता की भूमि के बदले में कोई भूमि या मुआवजा की भी मांग नहीं की है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि को गै.मु.रास्ता के रूप में स्वीकृत किये जाने से राज्य हित को कोई हानि होना प्रतीत नहीं होता, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।
	उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी राजीव सियाग के नाम की वाके चक 1 के.एस.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 71/77 में अंकित 2.755 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 40/339 (38) के किला नं. 11 की 0.033 है0 दक्षिणी पासा, 12 में 0.027 है0 दक्षिण पासा, पश्चिम से पूर्व, जो एन.एच.–62 से जोड़ता है, भूमि को गै.मु.रास्ता के रूप में स्वीकृत किया जाता है और स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि प्रार्थी के खाता से कलमजन कर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम जारी होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 11.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.16 11:58:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: